राष्ट्रीय लोक अदालत 2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 62/2020

01. भूपेन्द्र कुमार पुत्र रामगोपाल
02. मनोज कुमार पुत्र रामगोपाल
03. बद्री बाई पत्नि रामगोपाल
04. सुनिता पुत्री रामगोपाल
05. हेमलता पुत्री रामगोपाल

} जातिगण मीणा निवासीगण जलोदा तेजाजी तहसील मांगरोल जिला बारां राज0

वादीगण

♠ बनाम ♠

01. रामगोपाल पुत्र प्रभुलाल जाति मीणा निवासी जलोदा तेजाजी तहसील मांगरोल जिला बारां
02. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आ0 टी0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री मनोज कुमार गालव
वकील प्रतिवादी : श्री श्याम सुन्दर पारेता
दायरा दिनांकः 14.08.2020 निर्णय दिनांक : 12.03.2022

निर्णय

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण कम 1 की पैतृक/पुश्तैनी आराजी खाता संख्या 203 खसरा नम्बर 14 रकबा 0.76 है0, खसरा नम्बर 275 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 280 रकबा 0.79 है0, खसरा नम्बर 303 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 366 रकबा 1.72 है0, खसरा नम्बर 424 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 473 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 611 रकबा 1.13 है0, खसरा नम्बर 70 रकबा 1.30 है0, कुल किता 10 कुल रकबा 6.99 है वाके माल जलोदा तेजाजी तहसील मांगरोल मे हाल जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 में प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज है। यह कि प्रतिवादी कम–1 वादीगण का पिता व पति है तथा प्रतिवादी कम–1 की नैतिक जिम्मदारी है कि वह अपने पुत्रों पत्नि व बच्चो का पालन पोषण करे एवं उनके प्रति सभी जिम्मेदारीयों का भली–भांति निर्वाह करें। प्रतिवादी कम–1 को वादग्रस्त सम्पत्ति वादीगण के पूर्वजों दादा इत्यादि से विरासत में प्राप्त हुयी है। जिसमे वादीगण का भी पैतृक/पुश्तैनी सम्पत्ति होने से जन्म से ही निहित है एवं सहदायिक के रूप में विरासत सम्पत्ति में प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा निहित है। पारिवारीक सजरा निम्नानुसार है:–

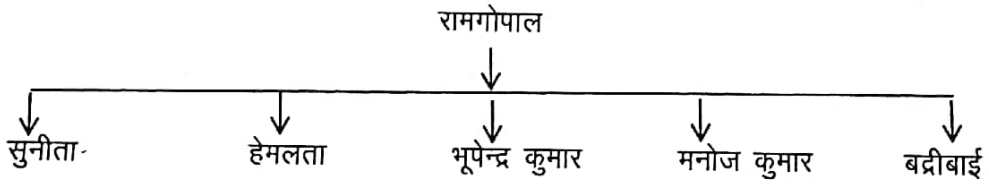

वादीगण कम 1, 4, 5 विवाहीत है विवाहित वादी कम 1 व वादी कम 2 बेरोजगार है जिन पर सम्पूर्ण परिवार का दायित्व है, वादीगण के ऊपर लाखों का कर्ज है। प्रतिवादी जुआं, शराब व नशे की लत से

Scanned by CamScanner

रूपये–पैसो को उडा देता है तथा शराब जुआ के शोक में लाखों रूपये बर्बाद कर दिये व पैतृक जायदाद को बेच रहा है। वादीगण के पास मात्र पैतृक सम्पत्ति से अपना हक/हिस्सा 1/6 – 1/6 अपने खाते दर्ज कराने एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का विकल्प शेष रहा है। यह कि वादीगण का वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 203 कुल किता 10 कुल रकबा 6.99 है0 में पैतृक व पुश्तैनी जायदाद होने से विरासत सजरानुसार प्रतिवादी कम 1 के खाते/हिस्से में से 5/6 हिस्सा है जिसमें वादीगण का नाम दर्ज किये जावे एवं प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी कम 1 वादीगण के खाते एवं दर्ज हिस्सा आराजी में कोई दखल अंदाजी नही करे एवं रहन बेचान करने का प्रयास नही करे। यह कि वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 डिकी सादिर फरमावे। यह कि वाद ग्रस्त आराजी खाता संख्या 203 किता 10 रकबा 6.99 है0 मे वादीगण कम 1 ता 5 का नाम हिस्सा 5/6 में प्रतिवादी के साथ दर्ज किया जावे। यह कि एक स्थायी निषेधाज्ञ वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी नं. 1 प्रसारित की जावे कि प्रतिवादी कम 1 पैतृक सम्पत्ति वाद ग्रस्त एव वादीगण के हिस्सा 5/6 में दखल अंदाजी एवं मजामहत न करे।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 14.08.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जर्ये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादीगण कम 1 की ओर से दिनांक 24.09.2020 को इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया गया । इकबालिया जवाब दावे में वाद पत्र की मद संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्वीकार किये। गवाह भूपेन्द्र कुमार पुत्र रामगोपाल जाति मीणा निवासी जलोदा तेताजी व गवाह मनोज कुमार पुत्र रामगोपाल जाति मीणा निवासी जलोदा तेजाजी के बयान लिये गये गवाह द्वारा बयानो में स्वीकार कि विवादित आराजी प्रतिवादी कम 1 ने विरासत में प्राप्त की है। प्रतिवादी कम 1 गैर जिम्मेदार है व पारिवारीक जिम्मेदारीयो का निर्वाह वादीगण द्वारा किया जाता है इस कारण वादीगण कम 1 ता 5 स्वयं को पैतृक आराजी में हिस्सा 1/5 – 1/5 खातेदार घोषित करवाने के कानूनी अधिकारी है। पत्रावली पुनः राष्ट्रीय लोक अदालत में दिनांक 12.03.2022 को प्रस्तुत हुई । वादीगण कम 1 ता 5 व प्रतिवादी कम 1 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो तस्दीक बाद शामिल पत्रावली है। प्रस्तुत राजीनामें में वादीगण कम 1 ता 5 व प्रतिवादी कम 1 सहमत हुए कि विवादित आराजी पैतृक व पुश्तैनी है जिसमें सभी का हिस्सा 1/6 – 1/6 निहित है। वादीगण 5/6 हिस्से में अपना नाम दर्ज कराना चाहते है। प्रतिपक्षी 5/6 हिस्से तक कोई भी रहन बेचान नही करेगा किन्तु 1/6 हिस्से के लिए प्रतिपक्षी कम 1 स्वतंत्र रहेगा।

अतः पत्रावली का अवलोकन, लोक अदालत राजीनामा, राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी का अवलोकन, संलग्न दस्तावेजों, बयान गवाहान एवं वादी व प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर प्रस्तुत वाद खाता संख्या 203 खसरा नम्बर 14 रकबा 0.76 है0, खसरा नम्बर 275 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 280 रकबा 0.79 है0, खसरा नम्बर 303 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 366 रकबा 1.72 है0, खसरा नम्बर 424 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 473 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 611 रकबा 1.13 है0, खसरा नम्बर 70 रकबा 1.30 है0, कुल किता 10 कुल रकबा 6.99 है वाके माल जलोदा तेजाजी तहसील मांगरोल जिला बारां में वादीगण कम 1 ता 5 का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/6 राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार मांगरोल को दिया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत–2022 में मजमेआम सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner